न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– नीता वसीटा आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
62 / 2019	6 / 01 / 2021	25/01/2024

बउनवान

1. दिनेश कुमार पुत्र श्री गणपत उर्फ ग्यारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 हाल निवासी बालूपा, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– वादी

बनाम

1. मुकुट बिहारी पुत्र श्री गणपत उर्फ गयारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 हाल निवासी बालूपा, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. इन्द्रा पुत्री श्री गणपत उर्फ गयारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
3. गुड्डी पुत्री श्री गणपत उर्फ गयारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
4. गीता पुत्री श्री गणपत उर्फ गयारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
5. चमेली पुत्री श्री गणपत उर्फ गयारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
6. धापू पुत्री श्री गणपत उर्फ गयारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
7. विमला पुत्री श्री गणपत उर्फ गयारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
8. गोपाल पुत्री श्री लक्खा जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
9. प्रेमशंकर पुत्र श्री गोपाल, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
10. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार पीपल्दा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2024.03.06 12:41:03 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सौभागपुरा, पटवार हल्का सौभागपुरा, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2074–2077 खसरा नम्बर 124 रकबा 0.53 है0 नहरी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 0.53 है0 भूमि स्थित है। जिसे वाद पत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

ग्राम करवाड पटवार हल्का करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 मे मुताबिक जमाबन्दी संवत 2074–2077 खसरा नम्बर 223 रकबा 0.85 है0 नहरी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 0.85 है0 भूमि तथा ग्राम करवाड पटवार हल्का करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2074–2077 खसरा नम्बर 247 रकबा 2.14 हे0 नहरी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 2.14 है0 स्थित है। जिसे वाद पत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया है।

विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 9 के संयुक्त खाते व कब्जा काश्त की आराजी है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से के अनुसार कौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, खातेदार रामनाथी पत्नि गणपत उर्फ ग्यारस्या की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारसिार वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 7 है, जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का नाम ग्राम बालूपा की कृषि भूमि में दिनेश कुमार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, और स्कूल, राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, जोब कार्ड आदि में वादी का नाम दिनेश कुमार दर्ज है, किन्तु राजस्व विभाग द्वारा ग्राम करवाड व ग्राम सौभागपुरा की कृषि भूमि में राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दिनेश कुमार के स्थान पर दीनदयाल दर्ज कर दिया है जो कि गलत है। जबकि वादी का सही नाम दिनेश कुमार है। जिसको दुरूस्त किया जाता आवश्यक है।

वाके ग्रम करवाड व वाके ग्राम सौभागपुर में राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज है, जिससे वादी को कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है तथा बैंक से के0सी0सी0 बनाने में परेशानी आती है, इसलिए वादी ग्राम करवाड व ग्राम सौभागपुरा की जमाबन्दी में राजस्व रिकार्ड में दीनदयाल के स्थान पर दिनेश कुमार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने राजस्व रिकार्ड में दीनदयाल के स्थान पर दिनेश कुमार दर्ज करवाने के लिए श्रीमान साहब तहसीलदार पीपल्दा से निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी गयी, इसलिए श्रीमान के सक्षम वाद पत्र पेश करने हेतु बाध्य होना पडा है।

यह कि वाद कारण राजस्व रिकार्ड से नकले लेने पर व श्रीमान साहब तहसीलदार पीपल्दा द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद पत्र पेश करने की हिदायत देने पर उत्पन्न हुआ।

ग्राम सौभागपुरा, पटवार हल्का सौभागपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2074–2077 खसरा नम्बर 124 रकबा 0.53 है0 नहरी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 0.53 हे0 भूमि स्थित है। जिसमें राजस्व रिकार्ड में दीनदयाल के स्थान पर दिनेश कुमार दर्ज कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे व तदनुसार राजस्व [illegible] में अमलदरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2024.03.06 12:01:03 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम करवाड, पटवार हल्का [illegible] जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी 2074–20[illegible] रकबा 0.85 है0 नहरी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 0.85 है0 भूमि [illegible]था ग्राम करवाड पटवार हल्का करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2074–2077 खसरा नम्बर 247 रकबा 2.14 है0 नहरी प्रथम कुल किता 1 रकबा 2.14 है0 स्थित है। जिसमें राजस्व रिकार्ड में दीनदयाल के स्थान पर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

दिनेश कुमार दर्ज कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

वाद दर्ज रजि0 किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 1, 8, 9, व 10 बावजूद सूचना उप0 नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनाक 14.06.2022 प्रतिवादी कम 1 ता 9 की ओर से श्री नन्दकिशोर एड0 द्वारा वकालतनामा एवं जवाबदावा पेश किया गया। शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब सरकार हेतु नियत की गई।

प्रकरण में जवाब सरकार की ओर से तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 9 के संयुक्त खाते व कब्जा काश्त की आराजी है, जिसमें वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। खातेदार रामनाथी पत्नि गणपत उर्फ ग्यारस्या की संलग्न मृत्यु प्रमाण पर के मृत्यु हो चुकी है।

वादी का ग्राम बालूपा की आराजी ख0सं0 283 रकबा 1.62 है0 में दिनेश कुमार पुत्र गणपतलाल दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2074–2077 अनुसार है, जबकि ग्राम करवाड की आराजी ख0सं0 223 रकबा 0.85 है0, ख0सं0 247 रकबा 2.14 है0 में फोती नामा0 सं0 250 दिनांक 07.06.1993 से वादी का नाम दीनदयाल शजरा अनुसार दर्ज है। नामा0 सं0 250 की फोटोप्रति संलग्न है एवं ग्राम सौभागपुरा की आराजी ख0सं0 124 रकबा 0.53 है0 में वादी के पिता ग्यारस्या की मृत्यु होने से नामा0 सं0 773 दिनांक 24.06.2016 से वादी का नाम दीनदयाल दर्ज है, जो राजस्व विभाग द्वारा सही दर्ज किया गया है एवं वादी का नाम पहचान के निम्न दस्तावेजों पहचान पत्र, राशनकार्ड, स्कूल की अंकतालिका, जनआधार कार्ड में वादी का नाम दिनेश कुमार दर्ज है।

पत्रावली में अन्य प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश किया हुआ है। तनकी की आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। साक्ष्यवादी में वकील वादी द्वारा वादी के साथ साथ सहखातेदार प्रतिवादी बिमला बाई व धापू बाई द्वारा शपथ पत्र बयान पेश कर निवेदन किया की पत्रावली में कोई ओर साक्ष्य प्रस्तुत नही करने है। अतः साक्ष्यवादी बंद की जाती है। पत्रावली में अन्य प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब दावा पूर्व में पेश किये जा चुका है। अतः पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद डिकी किया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दुरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड [illegible] पत्रावली में वादी द्वारा वाद के समर्थन में मतदाता फोटो प[illegible] राशनकार्ड, राज.उ.प्रा. वि. की अंक तालिका(1996–97), [illegible] जॉबकॉर्ड, सरपंच ग्राम पंचायत बालूपा का प्रमाण पत्र आधार कार्ड [illegible] पेश की है जिसमें वादी का नाम दिनेश कुमार अंकित है। पत्रावली [illegible] वादी के समर्थन में सहखातेदार प्रतिवादीगण द्वारा भी शपथ पत्र पेश [illegible]ये गये है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 ग्राम रापुरिया पटवार हल्का बालूपा तह0 पीपल्दा के खाता सं. नया 41 पुराना 45 के खसरा नम्बर 283 में दिनेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2024.03.06 12:01:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

कुमार पुत्र गणपत लाल हिस्सा 1/18 जाति काछी सा. करवाड खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

उक्त विवेचन के आधार पर यह मानते हुए की किसी भी खातेदार का बोलता नाम यदि सहवन से या जानकारी के अभाव मे राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो जाता है ओर खातेदार के पहचान के दस्तावेजात् में अलग नाम से बने हुए है ऐसी स्थिति में खातेदार को राजस्व रेकार्ड और पहचान के दस्तावेजात् के नाम मे भिन्नता होने पर सरकारी सहायता प्राप्त होने में कठिनाई होना जाहिर है ऐसी स्थिति में खातेदार पूर्व से चले आ रहे नाम को दुरस्त करवाया जाना आवश्यक् है। वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी स्वीकार किया किया जाकर ग्राम सौभागपुरा, पटवार हल्का सौभागपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2074–2077 खसरा नम्बर 124 रकबा 0.53 है0 नहरी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 0.53 हे0 भूमि एवं करवाड, पटवार हल्का करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी 2074–2077 खसरा नम्बर 223 रकबा 0.85 है0 नहरी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 0.85 है0 भूमि तथा ग्राम करवाड पटवार हल्का करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2074–2077 खसरा नम्बर 247 रकबा 2.14 है0 नहरी प्रथम कुल किता 1 रकबा 2.14 है0 भूमि में वादी का नाम दीनदयाल के स्थान पर दिनेश कुमार दर्ज करते हुए वादी को विवादित आराजीयात् का खातेदार कृषक धोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर डिकी मुर्तिब की जावे। विवादित आराजी यदि रहनभार है तो यथावत रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाना खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजि.
इटावा जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2024.03.06 12:01:03 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्राई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– नीता वसीटा (आर.ए.एस)

1 दिनेश कुमार पुत्र श्री गणपत उर्फ ग्यारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 हाल निवासी बालूपा, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– वादी

बनाम

1. मुकुट बिहारी पुत्र श्री गणपत उर्फ गयारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 हाल निवासी बालूपा, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. इन्द्रा पुत्री श्री गणपत उर्फ गयारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
3. गुड्डी पुत्री श्री गणपत उर्फ गयारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
4. गीता पुत्री श्री गणपत उर्फ गयारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
5. चमेली पुत्री श्री गणपत उर्फ गयारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
6. धापू पुत्री श्री गणपत उर्फ गयारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
7. विमला पुत्री श्री गणपत उर्फ गयारस्या, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
8. गोपाल पुत्री श्री लक्खा जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
9. प्रेमशंकर पुत्र श्री गोपाल, जाति काछी, निवासी करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
10. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार पीपल्दा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2024.03.06 12:01:03 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री गिरिराज कुशवाह एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम सौभागपुरा, पटवार हल्का सौभागपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2074–2077 खसरा नम्बर 124 रकबा 0.53 है0 नहरी प्रथम

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

कुल किता 1 कुल रकबा 0.53 हे0 भूमि एवं करवाड, पटवार हल्का करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी 2074–2077 खसरा नम्बर 223 रकबा 0.85 है0 नहरी प्रथम कुल किता 1 कुल रकबा 0.85 है0 [illegible] ग्राम करवाड पटवार हल्का करवाड तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 मे मुताबिक जमाबन्दी संवत 2074–2077 खसरा नम्बर 247 रकबा 2.14 है0 नहरी प्रथम कुल किता 1 रकबा 2.14 है0 भूमि में वादी का नाम खातेदार के स्थान पर दिनेश कुमार दर्ज करते हुए वादी को विवादित आराजीयात का खातेदार कृषक धोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर डिकी मुर्तिब की जावे। विवादित आराजी [illegible] है तो यथावत रहेगा।

डिकी मेंरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 25/01/2024 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2024.03.06 12:01:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा, जिला कोटा
इटावा जिला कोटा